प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला : भ्र. नि. ब्यूरों इन्टे.उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी, जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.सं. ....490/22.................... दिनांक ....27/12/2022.........

2. (I) अधिनियम पीसी एक्ट धारायें – 7, पीसी एक्ट (संशोधित) 2018
(ii) अधिनियम – धारायें –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....535.......................... समय ....4:00 PM.....
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयःबुधवार दिनांक 30–11–22 समय 02.10 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 30–11–22

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल : पुलिस थाना अम्बामाता जिला उदयपुर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : पश्चिम दिशा, करीब 7 किमी.
(ब) पता : पुलिस थाना अम्बामाता, जिला उदयपुर
....................–................. बीट संख्या ....–...........जरायमदेही सं...
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....–.................. जिला ....–........................

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री शम्भुसिंह (ब) पिता का नाम :– श्री जब्बर सिंह बालोत
(स) जन्म तिथि/वर्ष : – 15.08.1982
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....–................ जारी होने की तिथि ....–.......
जारी होने की जगह ....–.........................
(र) व्यवसाय :– प्राइवेट कार्य
(ल) पता : – निवासी पावटा, तहसील एवं पुलिस थाना आहौर, जिला जालौर हाल प्लॉट नो–44 गौराई –2, बोरीवली वेस्ट मुम्बई उपनगर महाराष्ट्र।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्रीमती कलावती डामोर पिता गोतम लाल रोत उम्र 47 निवासी बी– 5, सीसारमा राजकीय पुलिस आवास, उदयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अम्बामाता जिला उदयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
1. भारतीय चलन मुद्रा 70,000/– रुपये, आरोपिया के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 70,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक : 30–11–2022 समय को ब्यूरो इकाई इन्टेलीजेन्स युनिट उदयपुर पर परिवादी प्रार्थी शम्भू सिंह पिता जब्बर सिंह बालोत, निवासी गॉव पावटा, तहसील एवं पुलिस थाना आहोर, जिला जालोर ने उपस्थित होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को एक टाईपशुदा रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा इस आशय की प्रस्तुत की कि ''मैं प्रार्थी शम्भू सिंह पिता जब्बर सिंह बालोत, निवासी गॉव पावटा, तहसील एवं पुलिस थाना आहोर, जिला जालोर का रहने वाला हूँ। पुलिस थाना अंबामाता में प्रकरण सं. 572/22 दर्ज है जिसमें पुलिस थाना के पुलिसकर्मी श्रीमती कलावती डामोर, एएसआई द्वारा मुझे कॉल कर पुलिस थाने पर बार–बार बुलाया जा रहा है और धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप भी इस प्रकरण में अपराधी हो। मुझ प्रार्थी को विभिन्न व्यक्तियों के मार्फत सूचना भिजवाई जा रहीं है कि आप 1,00,000 रूपये श्रीमती कलावती डामोर को दे दो, उनको भी उपर तक रूपये पहुँचाने पड़ते हैं। श्रीमती कलावती डामोर द्वारा भी मुझको मोबाईल नंबर 7062740708 से कॉल कर प्रकरण से नाम हटाने की एवज में 1,00,000 रूपयों की मांग की जा रही है। इस प्रकार मुझे श्री कलावती डामोर एएसआई द्वारा बार–बार कॉल कर परेशान किया जा रहा है एवं रिश्वती राशि 1,00,000 रूपयों की मांग जा रही है। मैं श्रीमती कलावती डामोर एएसआई को उनके मांगे अनुसार 1,00,000 रूपये रिश्वती राशि नहीं देना चाहँता हूँ बल्कि उनको रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकड़वाना चाहँता हूँ, मेरी श्रीमती कलावती डामोर से किसी प्रकार की लेन–देन बाकियात नहीं है एवं न हीं उनसे कोई रंजिश है। अतः निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावें।'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मन् पुलिस उप अधीधक द्वारा परिवादी से मजिद पुछताछ कि तो परिवादी द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया। परिवादी की रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि लेन–देन का पाया जाने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय अलमारी से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर की संचालन प्रक्रिया भलीभांति समझायी गई एवं ब्यूरो इकाई उदयपुर से एक नया मेमोरी कार्ड श्री लक्ष्मण सिंह, कनिष्ठ सहायक से मंगवाया जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर में डाला गया एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री अजय कुमार कानि0 को तलब परिवादी श्री शंम्भु सिह आपस में परिचय करावाया जाकर अजय कुमार कानि को परिवादी के साथ रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाये जाने हेतु मय डिजिटल टेप रिकार्डर के रवाना पुलिस थाना अम्बामाता की ओर रवाना समय करीबन 3.00 पीएम पर किया गया। तत्पश्चात समय करीबन 04.00 पी.एम. पर श्री अजय कुमार कानि मय परिवादी श्री शम्भुसिंह के कार्यालय में उपस्थित होकर टेप रिकार्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपूर्द कर अवगत कराया मै व परिवादी ब्यूरो इकाई से रवाना होकर समय करीबन 03.20 पी.एम. पर अम्बामाता थाने से कुछ दूर पहले रूके जहां पर मैंने टेप रिकार्डर चालु कर परिवादी को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु अम्बामाता थाने की ओर रवाना किया एवं मै भी थाने के आसपास अपनी उपस्थिती छुपाये परिवादी के पुन आने के इन्तजार मे खडा रहा, कि समय करीब 03.45 पीएम पर परिवादी मुझ कानि के पास आया जिस पर मेरे द्वारा परिवादी ने डिजिटल टेप रिकार्डर प्रस्तुत किया जो मेरे द्वारा बंद किया एवं परिवादी ने मुझे बताया कि ''मैं रवाना हो पुलिस थाना के बाहर गया और मैंने अपने स्तर से श्रीमती कलावती मैडम का पता लगाने के लिये अपने मोबाईल नंबर 9176669863 से आरोपिया मैडम के मोबाईल नंबर 7062740708 पर कॉल किया तो मैडम ने कॉल उठाया एवं मैंने पूछा कि आप कहाँ हो मैं थाने पर आया हूँ तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर ही हूँ थाने के। इस पर मैं मैडम के पास जाकर उनसे मिला तो उन्होंने थाना अम्बामाता में दर्ज प्रकरण संख्या 572/22 में आरोपी नहीं बनाने की एवज में एक लाख रूपये की रिश्वत मांग की मेरे द्वारा थोडा कम करने का निवेदन किया तो 700000 रूपये लेने के लिये सहमत हो गयी जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पास में खडे परिवादी श्री शंम्भुसिंह से पुछताछ की गई तो परिवादी द्वारा श्री अजय कुमार कानि द्वारा बताई बातो की ताईद की जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो आरोपिया श्रीमती कलावती डामोर सउनि द्वारा 70,000 रूपये की रिश्वती राशि की मांग की जाने की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकार्डर मे रिकार्ड रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार आरोपीया द्वारा परिवादी को रिश्वती राशि लेकर शुक्रवार को बुलाया तथा परिवादी द्वारा आरोपिया को शनिवार, रविवार या सोमवार तक रिश्वती राशि देने के लिए कहा गया जिस पर मन् पुलिस

उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वती राशि के बारे मे पूछा तो परिवादी ने रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 06.12.2022 मंगलवार को प्रातः कार्यालय में उपस्थित हो जाऊँगा। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखना एवं आरोपीया का फोन या किसी तरह से सम्पर्क करने पर तुरंत मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराने की हिदायत के रवाना किया गया एवं ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। मामला हाजा में आज हुई परिवादी एवं आरापिया के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द एवं सीडीयां बनाई जानी है, किन्तु कार्यालय समय समाप्ति की ओर है एवं स्वतत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द एवं सीडीयां पृथक से बनाई जावेगी आईन्दा परिवादी के कार्यालय पर उपस्थित होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात दिनांक 7-12-2022 को समय करीब 01.20 पी.एम. पर परिवादी श्री शंम्भु सिंह तलवीदा ब्यूरो इकाई उदयपुर पर उपस्थित हुआ जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शंभुसिंह से आरोपिया से किसी प्रकार सम्पर्क होना पूछा गया तो परिवादी श्री शंभुसिंह ने बताया कि दिनांक 5-12-22 को श्रीमती कलावती एएसआई मैडम का मिस कॉल आया था जिस पर मैंने मेरे मोबईल नं. 9176669863 से समय करीबन 4.58 पी.एम. पर कलावती मैडम के मोबईल नं. 7062740708 पर कॉल किया तो मैडम ने मुझे कहा कि थाने पर सी0आई0 साहब बुला रहें है, आप जल्दी आ जाओ तो मैंने एएसआई मैडम को कहा कि रूपये की व्यवस्था नहीं हुई है और व्यवस्था करने में ही व्यस्त होना बताया तो एएसआई मैडम ने कहा जितने है एक बार ले आ आओ तो मैंने कहा कि अभी 40-45 हजार रूपये की ही व्यवस्था हुई तो उन्होने कहा ठीक है कल दिनांक 6-12-22 को लेकर आ जाओ।'' जिस पर मैं कल 6-12-22 को दोपहर करीबन 12.00 पीएम पर उदयपुर पहुंचा था। सफर में थक जाने एवं मेरे जिला राजसमन्द में भी आवश्यक कार्य होने से मैं सीधा राजसमन्द चला गया और देर रात उदयपुर आया था। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी शंभुसिंह को उक्त मोबाईल वार्ता की रिकार्डिग होना पूछा गया तो परिवादी शंभुसिंह द्वारा बताया कि मैं रिकार्डिग करना भूल गया। नोट दर्ज किया गया। आगे परिवादी ने यह भी बताया कि कल दिनांक 06.12.22 को आरोपीया द्वारा मुझे दोपहर 03.00 बजे बाद फोन करने हेतु कहा तो मैने राजसमन्द से ही मैडम को फोन किया तो उसने दो तीन बार मेरा फोन नहीं उठाया फिर मैने समय करीबन 05.45 पीएम पर मैडम को कॉल किया तो मैडम ने मुझे बताया कि मेरी माताजी को दिल का दौरा पड जाने से छुटटी पर चली गई हुं दो चार दिन में छुटटी से आकर बात करूंगी फिर मैने समय करीबन 06.13 पीएम पर वापस मैडम को कॉल करके पुछा कि मैं उदयपुर ही रहुं या मुम्बई चला जाऊ कितने दिन लगेंगे तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माताजी भर्ती है मैं ड्यूटी पर आऊंगी तो आपको फोन कर दूंगी। जिस मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपीया से हुई वार्ता की रिकॉर्डिग मोबाइल में होने के बारे मे पूछा तो परिवादी द्वारा बताया गया कि मैं रिकार्डिग करना भूल गया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से आरोपीया को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास करीबन 50-60 हजार रूपये ही थे जिसमें से कुछ राशि मैने राजसमन्द मे किसी को दी है और कुछ राशि मेरे पास मुम्बई आने जाने के हिसाब से बचा रखी है अभी मेरे पास 29000 हजार रूपये ही है बाकी की राशि मैं मुम्बई जाकर पुनः व्यवस्था करके लाउंगा। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपीया को दी जाने वाली राशि 40-45 हजार रूपये लेकर कार्यालय में उपस्थित होने एवं आरोपीया द्वारा सम्पर्क करने पर तुरंत मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुचित करने एवं मामले गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत के रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 15-12-2022 समय करीब 02.10 पी. एम. पर तलवीदा परिवादी श्री शंम्भु सिंह उपस्थित कार्यालय हुआ जिस पर मन् पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपीया सउनि से किसी प्रकार से सम्पर्क होने के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 07.12.22 को मुम्बई चला गया था। मुम्बई से मेने कलावती मैडम से बात करनी चाही तो उन्होने मेरा फोन नही उठाया फिर मेने उनसे वाटस अप चैट किया तो उन्होने वाटस अप पर मुझे बताया कि मेरी माता जी की तबीयत ज्यादा खराब है मैं कब आउगी पता नहीं आप थाने पर चले जाओ और अपना मुचलका भरवा दो। उसके बाद भी मैने कॉल किया था तो उन्होने मुझे थाने में जाने के लिए कहा था तो मैने कहा कि मै उदयपुर आकर आपसे बात करके थाने में चला जाउगा। इसके बाद कल दिनांक 14.12.22 को

मेरे पास शाम को करीब 4–5 बजे मेरे वकील साहब का फोन आया और उन्होने कहा की आप थाने पर चले जाओ और जो भी मिले उनसे आपके जमानत मुचलके भरवा दो जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के बारे में पूछा तो परिवादी द्वारा 29,000 रूपये की ही व्यवस्था होना बताया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना आवश्यक होना एवं ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा तहरीर खान विभाग उदयपुर को जारी कर दो स्वतंत्र गवाह जिसमें एक महिला बाबत् तहरीर श्री अजय कुमार कानि 456 के साथ भिजवायी गई। एवं परिवादी कार्यालय में बैठाया गया। समय करीबन 02.20 पीएम पर श्री अजय कुमार कानि मय दो स्वतंत्र गवाह के कार्यालय में उपस्थित हुआ जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह का परिचय पुछा गया तो उन्होने बतााय कि श्री श्री अमरदीप नागदा पिता स्व. श्री डालचन्द नागदा उम्र 42 साल निवासी मकान नं. 204, गणेश नगर पायडा, जैन मन्दिर के पास पुलिस थाना प्रतापनगर जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर एवं श्रीमती सकीना पालीवाला पति युसुफ अली जाति बोहरा उम्र 57 वर्ष निवासी 1/5 बस्तीराम जी की बाडी बोहरवाडी पुलिस थाना धानमण्डी जिला उदयपुर होना बताया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाह को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहन के रूप में उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाह द्वारा अपनी–अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय में बैठे परिवादी श्री शंभुसिंह को बुलाया जाकर परिवादी एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी की रिपोर्ट स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ कर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी द्वारा रिपोर्ट स्वंय द्वारा टाईप करा अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर परिवादी की रिपोर्ट पर करवाये गये एवं समय करीबन 02.25 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय अलमारी से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर दिनांक 30.11.22 को सुरक्षित रखवाया गया था को निकालकर उसमें परिवादी एवं आरोपिया के मध्य आमने सामने दिनांक 30.11.22 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गयी थी उक्त वार्ता को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष चला कर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह द्वारा रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होने स्वीकार किया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री विकास नागदा कानि. 232 से स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल टेप रिकार्डर में दिनांक 30–11–22 को परिवादी एवं आरोपीया सउनि के मध्य आमने सामने हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कि थी को चलाई जाकर वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष कानि. श्री विकास नागदा से ही कार्यालय लेपटोप से कनेक्ट कराया जाकर वार्ताओं की मूल एवं डब सीडी तैयार करवाई गई तथा मूल एवं डब सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलबंद करा अलमारी मे सुरक्षित रखवाया तथा डब सीडी को सीडी कवर में रख सुरक्षित रखा गया। समय करीब 04.10 पी.एम.पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी शंम्भुसिंह को रिश्वती राशि के बारे में पूछा गया तो परिवादी शंभुसिंह ने 29,000 हजार रूपये होना एवं अवगत कराया कि मेरी और मेडम के मध्य दिनांक 5–12–22 को मोबाईल पर वार्ता हुई तो मैंने मेडम को कहा कि मेरे पास 70,000 रूपये की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्होने मुझे कहा जितनी हुई उतनी ही ले आओ तो मैंने मेडम को 29,000 हजार रूपये की व्यवस्था होना बताया तो उन्होने कहा ठीक है। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारे में परिवादी को अवगत कराया एवं परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया।

तदुपरांत ब्यूरो इकाई पर फिनोफथलीन पाउडर उपलब्ध नहीं होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो इकाई उदयपुर से श्री मुनीर मो0 हैडकानि मय फिनोफथलीन पाउडर की शिशि के तलब किया गया समय 04.20 पीएम मय फिनोफथलीन पाउडर की शिशि के उपस्थित आया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शंम्भुसिंह को आरोपीया श्रीमती कलावती डामोर सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अम्बामाता उदयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने

पास से 2000–2000 रूपये के 14 नोट एवं 500–500 के 2 नोट कुल 29000 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय टेबल पर दो अखबार बिछाकर अखबार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर श्री मुनीर मो0 हैड.कानि से लगवाया जाकर नोटो को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दायीं जेब में कुछ न रहते हुए रखवाई गई। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष श्री अजय कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कॉच का गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो गोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री मुनीर मो0 हैड.कानि के हाथों की उंगूलियों व अंगुठे जिस पर फिनोफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त कार्यावाही की फर्द पेशकसी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टांत सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से बनाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना वांछित होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शंम्भुसिंह से आरोपीया सउनि की लोकेशन की जानकारी हेतु कॉल समय करीबन 04.49 पीएम पर करवाया गया किन्तु आरोपीया द्वारा परिवादी का कॉल रिसीव नहीं किया गया। दर्ज रहे कि दिनांक 14.12.22 को मामला हाजा के परिवादी श्री शंम्भुसिंह द्वारा उसके विरूद्ध पुलिस थाना चारभुजा जिला राजसमन्द में दर्ज प्रकरण आरोपी नहीं बनाने की एवज में हैडकानि श्री डाउराम द्वारा रिश्वत की मांग कर ग्रहण करने पर एसीबी से ट्रेप कार्यवाही करवायी गई है थाना चारभुजा का एवं थाना अम्बामाता के दोनो अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि की मांग की गई है, थाना चारभुजा, जिला राजसमंद की कार्यवाही की जानकारी थाना अम्बामाता के अनुसंधान अधिकारी मामला हाजा की आरोपीया श्रीमती कलावती को जानकारी लग गई है अब ज्यादा कॉल कराने से आरोपीया को एसीबी की कार्यवाही भनक/शंका होने की पूर्ण संभवाना है। आरोपीया कॉल नहीं उठा रही है। आज की कार्यवाही ऐतिहातन इसी स्थिति पर लम्बित रखी जाना ही उचित है उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शंभुसिंह की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कुछ न रहते हुए रखवाई गई रिश्वती राशि पुनः स्वतंत्र गवाहान श्री अमरदीप से निकालवाई जाकर एक खाखी लिफाफे में रखवाई जाकर राशि को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखी गई एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को कल दिनांक 16.12.22 समय 10.00 एएम पर उपस्थित होने की एवं मामले की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत के रूखसत किया गया एवं श्री मुनीर मो0 हैडकानि को मय फिनोफथलीन शिशि के ब्यूरो इकाई उदयपुर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 16.12.22 समय 11.00 एएम पर तलवीदा परिवादी श्री शंभुसिंह एवं स्वतंत्र गवाहान श्रीमती सकीना पालीवाला रसायनज्ञ एवं श्री अमरदीप नागदा कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय में बैठाया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही परिवादी श्री शंभुसिंह से आरोपिया सउनि से किसी प्रकार का सम्पर्क होना पूछने पर बताया गया कि मेरा किसी प्रकार सम्पर्क नहीं हुआ है एवं परिवादी ने बताया मेरे द्वारा राजसमन्द में हैडकानि श्री दाउराम के विरूद्ध करवाई गई ट्रेप कार्यवाही का समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का फोटो मेरे अधिवक्ता ने मुझे जरिये वाट्स अप मेसेज सेन्ड किया। मामले हाजा की भनक/शंका आरोपिया का लग जाने की पूरी सम्भावना है, फिर भी अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के कम में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के मोबाईल नं. 9176669863 से आरोपिया सउनि के मोबाईल नं. 7062740708 पर समय करीबन 11.20 एएम पर वाट्स अप और साधारण कॉल करवाया गया तो आरोपिया द्वारा परिवादी का कॉल रिसीव नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण हाजा के परिवादी श्री शंभुसिंह द्वारा जिला राजसमन्द के चारभुजा थाने के श्री दाउराम हैडकानि. के विरूद्ध करवाई गई एसीबी

कार्यवाही की पूर्ण जानकारी है एवं परिवादी के अधिवक्ता द्वारा भी परिवादी को राजसमन्द एसीबी कार्यवाही का समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का मैसेज किया है, इस प्रकार परिवादी के द्वारा बताया गया कि श्रीमती कलावती सहायक उप निरीक्षक थाना अम्बामाता को एसीबी कार्यवाही की शंका को गई है अब वो मुझसे बात नहीं करेगी। मामला हाजा में आरोपिया श्रीमती कलावती सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अम्बामाता जिला उदयपुर को ट्रेप कार्यवाही की भनक/शंका हो जाने से काफी सतर्कता एवं सावधानी बरत रही है एवं परिवादी का कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हैं एवं परिवादी के अधिवक्ता द्वारा भी परिवादी को आरोपिया को शंका हो जाने बाबत् तथ्य बताये हैं, इस प्रकार अब कार्यवाही यहीं रोकी जाती हैं। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष डिजीटल टेप रिकार्डर से निकाला जाकर मेमोरी कार्ड कवर में ही सुरक्षित रखवा कर सफेद कपडे की थैली में सिलचिट करवाया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करावाये गये एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वती राशि 29,000 रूपये स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही परिवादी का रसीदन सुपुर्द किये गये एवं परिवादी श्री शंभुसिंह एवं स्वतंत्र गवाहान को रूखसत दी गई।

इस प्रकार अब तक की गई कार्यवाही एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 30.11.2022 से स्पष्ट है कि आरोपिया श्रीमती कलावती डामोर, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अम्बामाता जिला उदयपुर द्वारा थाना अम्बामाता में दर्ज प्रकरण संख्या 572/22 धारा 342, 389, 384 व 34 भादसं में परिवादी श्री शंभुसिंह को आरोपी नहीं बनाने की एवज में रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये की मांग करना एवं परिवादी द्वारा रिश्वती राशि को थोडा कम करने को कहने पर आरोपिया द्वारा 70,000 रूपये लेने के लिये राजी हो जाने से आरोपिया श्रीमती कलावती डामोर, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अम्बामाता, जिला उदयपुर के विरूद्ध जूर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं।

अतः आरोपिया श्रीमती कलावती डामोर पिता श्री गोतम लाल रोत, उम्र 47 निवासी बी–5, सीसारमा राजकीय पुलिस आवास, उदयपुर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अम्बामाता, जिला उदयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांक हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(दिनेश सुखवाल)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रनिब्यूरो (इन्टे.) उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दिनेश सुखवाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर(इन्टे.), उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्रीमती कलावती ड.मोर, हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अम्बामाता, जिला उदयपुर के विरूद्ध गठित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 490/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:- 4164-67 दिनांक 27.12.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश वं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर।
4. अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (इन्टे) उदयपुर।

27.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।